गुजरात की सागर संपदा का संरक्षण

प्रेमकुमार, यू. श्रीधर, एम.पी. रमेशन, एवं के.के. सोलंकी

प्रस्तावना :

समुद्री मत्स्योत्पादन की दृष्टि से गुजरात राज्य का देश में प्रथम स्थान है . 16000 किमी में फैले विशाल समुद्र तट में 1.65 लाख वर्ग कि.मी. गहराई के समुद्र की मात्स्यकी संपदा की शक्यता 5.67 लाख टन है जब कि वर्तमान मत्स्योत्पादन 6.65 लाख टन है । जो कि निर्धारित शक्यता से एक लाख टन अधिक है । गुजरात के समुद्री पानी में व्यवसायिक महत्व की लगभग 300 प्रकार की मछलियां पायी जाती हैं जिनमें साईनीड, रिबन फिश, शार्क, झींगा मछली, शीर फीश सिफैलोपोड आदि मुख्य हैं । राज्य में मत्स्य प्रगहण नावों की कुल संख्या 24,616 है जिनमे 15698 यान्त्रीकृत तथा 8918 परम्परागत नावे हैं । मत्स्य प्रग्रहण की विधियों में ट्रोलिंग प्रग्रहण का मुख्य साधन है, और राज्य में 6390 ट्रोलर है । कुल मत्स्योत्पादन का लगभग 63% ट्रोलिंग तथा 27% गिल नेट के प्रयोग से होता है । राज्य के 221 मत्स्य प्रग्रहण केन्द्रों पर लगभग एक लाख मछुवारे प्रगहण में भाग लेते हैं । समुद्री मत्स्योद्योग राज्य तथा अन्य राज्यों से आये हज़ारो मज़दूरों की जीविका का मुख्य क्षेत्र ही नही अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्व पूर्ण भूमिका अदा करता है । राज्य में 57 मत्स्य प्रशीतन इकाई तथा 2 फिश मील की इकाई हैं । इतने अपार संसाधनो के बावजूद वर्तमान में मत्स्योद्ययोग एक खतरनाक मोड से गुजर रहा है । पिछले कुछ वर्षों में प्रति नाव व प्रति मछुवारा उत्पादन शनै: शनै: कम हो रहा है जिसके मुख्यकारण नावों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि तथा ट्रोल जाल के पश्च भाग कोड एंड के मेश आकार में अप्रत्याशित कमी है । लकड़ी निगित ट्रोलर गहरे समुद्र में प्रग्रहण में सक्षम नहीं है । इसलिए उथले समुद्र का अत्याधिक शोषण हो रहा है । यदि इस और ध्यान न दिया गया तो गुजरात के समुद्र तट की जैव-विविधता को खातरा हो सकता है । वर्तमान लेख का उद्देश्य कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना है जिससे राज्य के समुद्र तट का उचित दोहन के साथ साथ सागर संपदा को भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सके ।

इतिहास :

गुजरात राज्य के समुद्र तटों पर बसी जन - जातियों द्वारा परम्परागत तरीकों से मत्स्य प्रग्रहण आदि काल से होता आ रहा है । परन्तु 60 के दशक में ट्रोल नेट के प्रवेश से धीरे धीरे मत्स्य प्रगहण को व्यवसायिक रूप से अपनाये जाने लगा और 80 के दशक में मत्स्य उत्पादों के अत्याधिक निर्यात ने अधिक प्रगहण हेतु परम्परागत नावों को यान्त्रिकरण में प्रोत्साहन दिया गया। मत्स्योद्योग 80 से मध्य 90 के दशक तक अपनी चरम सीमा पर था 1980 - 81 में मत्स्योत्पादन 2.2 लाख टन से बढ़कर 4.3 लाख टन 1989 - 90 तक पहूँचा और 1998-99 में उत्पादन घटाकर 6.6 लाख टन जो बढकर 24616 1997-98 तक पहूँच गया । तालिका - (।) नावों की संख्या के बढ़ने से प्रति मछुवारा एवं प्रति नाव प्रग्रहण क्षेत्र भी कम हो गया । तालिका - 2 जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रति नाव मत्स्योत्पादन पर पडा और अधिक प्रगहण की टोह में मछुवारों ने प्रगहण प्रवास की अवधि 2 दिन से लेकर 10 दिन तक बढ़ा दी, यही नही बल्कि ट्रॉल जाल के कोड एंड 10 मि मी. तक कम कर दिया । जिससे मेक मछलियां भी पकड में आ जाती हैं और मछुवारे इसे ''कटा'' के नाम से पुकारते हैं। इस सागर भविष्य निधि को मछुआरे कम दाम पर फिशमील कम्पनियों को बेचकर यह संतोष कर लेते है कि ''कुछ नहीं से कुछ भला ''। इसी कारण उथली गहराई के समुद्र में मछलियों की संख्या और आकार में अप्रत्याशित कमी आ गयी है और यदि यही सिलसिला आगे भी जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गुजरात की सागर संपदा का पूर्ण नाश न हो जाये । प्रस्तुत लेख में गुजरात की सागर संपदा को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव सुझाये गये हैं ।

1. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ट्रॉलिंग मत्स्य प्रगहण का मुख्य साधन है । परन्तु दुर्भाग्यवश कोड एंड के मेश आकार का अत्याधिक छोटा होने से यह जाल

सागर संपदा के लिए विध्वंसक रूप ले रहा है । इसलिए समय रहते राज्य सरकार को ''मेश साईज रेगूलेशन के लिए कडे कदम उठान पडेगें । केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान ने ''रिशोंस स्पेशिफिक'' ट्रोल के अनेक डिजाईन तैयार किये हैं । इसलिए मानक जाल से ही प्रगहण की अनुमति दी जानी चाहिए । अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि समान मेश आकार के वर्गाकार कोड एंड, हीराकार कोड एंड की तुलना में अधिक सक्षम है । इसलिए पगॉकार मेश कोड एंड को आवश्यक कर देना चाहिए ।

2. यहाँ नावों की संख्या की अधिकता है इसलिए लकड़ी निर्मित ट्रॉलर का निर्माण रोककर, मध्यम आकार के इस्पात ट्रॉलिंग गहरे समुद्र की ओर अग्रसर हो सके जो क्षेत्र अभी भी उपयोग से अछूता पड़ा है ।

3. मात्स्यिकी प्रसार कार्यक्रम के अर्न्तगत मछुआरों को यथास्थिति की जानकारी तथा गहरे समुद्र में प्रग्रहण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे मछुवारे अपने तथा राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर प्रगहण करें ।

4. इलैक्ट्रीनिकी विज्ञान ने मत्स्य प्रगहण के नये आयाम खोले हैं । ग्लोबल कम्यूनिकेशन प्रणाली की सहायता से अग्रक क्षेत्र में मत्स्य समूहों का अवलोकन कर मछुवारों को उस स्थान पर प्रग्रहण की सलाह दी जा सकती है जिससे वे ईंधन और समय बचाकर पूर्व निर्धारित प्रगहण कर सकें । इसके लिए राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । नाव में जी.पी.एस. ग्लोबल पोजीशिनिंग प्रणाली से नाव की स्थिति तथा मौसम संबंधी जानकारी की सुविधाऐं प्राप्त की जा सकती हैं जिससे नाव व नाविक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

निष्कर्ष :

समुद्री मत्स्योत्पादन का गुजरात राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्व पूर्ण योगदान ही नही अपितु यह लाखों मछुवारे परिवारों तथा सम्बधित उद्योग में कार्य करने वालो की जीविका का एकमात्र साधन है । वर्तमान में जो सागर संपदा की विनाश लीला चल रही है, यदि इसे न रोका गया तो ''सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का पेट काटने वाली कहावत सिद्ध हो जायगी और अन्त में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा । इसलिए शासन, राजकीय मत्स्य विभाग एवं अनुसंधान केन्द्रों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे तथा ''जल निधि - भविष्य निधी '' के नारे को साकार करना होगा ।

तालिका - 1

वर्ष	नावों की संख्या	मत्स्योत्पादन लाख टन में
1980-81	9482	2.19
1985-86	12876	3.07
1990-91	16817	5.00
1995-96	22663	5.98
1997-98	24616	7.02
1998-99	-	6.65

संदर्भ: गुजरात फिशरीज स्टैटस्टिक्स

तालिका -2

वर्ष	प्रति नाव उपलब्धे क्षेत्र है		प्रति मछुवारा उपलब्ध क्षेत्र हैं	
	0-50 मी.	50-200 मी.	0-50 मी.	50-200मी.
1961-62	1453	2214	554	843
1976-77	1095	1669	288	439
1980-81	862	1314	177	271
1990-91	499	760	136	207

■■■